



भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध के प्रति शून्य सहिष्णुता

हम कार्य का ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं जो भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध मुक्त हो। हमारे यहाँ नौकरी का आवेदन करने वालों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं के प्रति या विरुद्ध किसी अन्य कर्मचारी, विक्रेता, ग्राहक या किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा गैर-कानूनी भेदभाव और उत्पीड़न के सभी कृत्यों का परिणाम नौकरी से बर्खास्तगी होगी। RXO द्वारा प्रतिशोध पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है जिसकी परिभाषा नीचे दी गई है।

RXO ऐसा कार्य स्थल कायम रखने के लिए वचनबद्ध है जहाँ सभी का आदर और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार किया जाता हो। RXO की नीति ऐसा कार्य स्थल प्रदान करना है जो भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध से मुक्त हो क्योंकि इसी तरह से सभी लोग पूर्ण क्षमता से काम कर सकते हैं। हमारा प्रयास ऐसे परिपक्व, जिम्मेदार वयस्क व्यक्तियों को नौकरी देना होता है जिन पर भरोसा किया जा सके और हम अपेक्षा करते हैं कि वे भी अन्य लोगों से उसी पेशेवर तरीके से व्यवहार करें।

ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, RXO सभी स्थानों और रोजगार के सभी स्तरों पर कार्य के सकारात्मक वातावरण कायम रखने के लिए वचनबद्ध है जिससे कर्मचारी अपना पूरा ध्यान दें और अपने कार्य सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से कर पाएं। RXO में भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। तदनुसार, RXO में किसी संरक्षित श्रेणी के आधार पर किसी व्यक्ति का या उसके द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहन नहीं किया जाएगा।

“संरक्षित श्रेणी” में लागू राजकीय या स्थानीय कानून, आनुवंशिक जानकारी या लागू संघीय, राजकीय या स्थानीय कानूनों और अध्यादेशों (“संरक्षित विशेषताएं” कहा जाता है) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जाति, वर्ण, पंथ, धर्म, राष्ट्रीय मूल, वंश, नागरिकता स्थिति, आयु, सेक्स या लिंग (गर्भावस्था, शिशु जन्म और

संबंधित चिकित्सा दशाओं सहित), लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति (पारलैंगिक स्थिति सहित), यौन उन्मुखता, सैन्य सेवा और भूतपूर्व सैनिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, संरक्षित चिकित्सा दशा शामिल है (लेकिन यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है)।

यह नीति इस धारणा पर भी लागू होती है कि किसी भी व्यक्ति में उनमें से कोई भी विशेषताएं हो सकती हैं या इसका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसमें वे विशेषताएं शामिल हों या उनका होना माना जाता हो।

आचरण के ऐसे उदाहरण जो इस नीति का उल्लंघन करते हैं उनमें ये शामिल हैं, लेकिन सूची यहीं तक सीमित नहीं है:

- मौखिक आचरण जैसे गुण-सूचक नाम, अपमानजनक चुटकुले, संरक्षित वर्ग पर आधारित गाली-गलौज या टिप्पणियां या अनचाहे यौन हावभाव, निमंत्रण या टिप्पणियां;
- दृश्यात्मक प्रदर्शन जैसे अपमानजनक और/या यौन उन्मुख पोस्टर, फोटोग्राफी, कार्टून, रेखाचित्र या हावभाव;
- शारीरिक आचरण, जिसमें अनचाहा स्पर्श, जानबूझकर सामान्य गतिविधि में बाधा डालना या सेक्स, जाति या अन्य किसी भी संरक्षित श्रेणी के कारण कार्य में बाधाएं शामिल हों;
- नौकरी बनाए रखने या किसी अन्य हानि से बचने और यौन उपकार के बदले में रोजगार के लाभ प्रस्ताव की शर्त के तौर पर सेक्स के अनुरोध की धमकी देना और मांग पूरी करना;

■ इस नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट करने या रिपोर्ट करने की धमकी देने के लिए प्रतिशोध; और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार जिसमें ऐसा कोई भी आचरण शामिल हो जिस पर राज्य और/या संघीय कानून या RXO नीति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो। RXO सिस्टम का उपयोग ऐसे किसी संदेश को भेजने के लिए नहीं किया जाएगा जो इस नीति का उल्लंघन करते हों।

ये व्यवहार कार्य स्थल और किसी भी कार्य संबंधी व्यवस्था जैसे व्यवसाय यात्रा और RXO द्वारा प्रायोजित सामाजिक समारोह में स्वीकार नहीं किए जाते, फिर चाहे ऐसा व्यवहार किसी पर्यवेक्षक, सहकर्मि, क्लाइंट, ग्राहक, विक्रेता या अन्य थर्ड पार्टी द्वारा क्यों न किया गया हो।

भेदभाव की परिभाषा। इस नीति के अंतर्गत भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति से अलग प्रकार का व्यवहार करना या किसी व्यक्ति को उसकी संरक्षित विशेषता के कारण लाभ से वंचित करना या प्रदान करना।

उत्पीड़न की परिभाषा। इस नीति में उत्पीड़न का अर्थ है अनचाहा मौखिक, दृष्ट्यात्मक या शारीरिक आचरण जो किसी व्यक्ति के प्रति उसकी किसी भी संरक्षित विशेषता के कारण कलंकित करता हो या शत्रुता या घृणा का प्रदर्शन करता हो जब:

- उस आचरण के प्रति अधीनता को किसी व्यक्ति के रोजगार की स्पष्ट या अंतर्निहित नियम या शर्त बनाया जाता हो; या
- किसी व्यक्ति द्वारा उस आचरण के प्रति अधीनता या तिरस्कार का उपयोग उस व्यक्ति को प्रभावित करने वाले रोजगार संबंधी निर्णयों को आधार बनाने के लिए किया जाता हो; या
- उस आचरण के प्रयोजन या प्रभाव से किसी व्यक्ति का कार्य प्रदर्शन बेवजह प्रभावित होता हो या उससे डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक कार्य वातावरण उत्पन्न होता हो।

यौन उत्पीड़न की परिभाषा। यौन उत्पीड़न में उपरोक्त सभी कृत्यों के साथ-साथ अन्य अनचाहा आचरण शामिल हो सकता है, जैसे अनचाहा या अवांछित यौन हावभाव, यौन उपकार के लिए अनुरोध, यौन गतिविधियों से संबंधित बातचीत और यौन प्रकृति वाला अन्य मौखिक, दृष्ट्यात्मक या शारीरिक आचरण जब:

- उस आचरण के प्रति अधीनता को किसी व्यक्ति के रोजगार की स्पष्ट या अंतर्निहित नियम या शर्त बनाया जाता हो; या
- किसी व्यक्ति द्वारा उस आचरण के प्रति अधीनता या तिरस्कार का उपयोग उस व्यक्ति को प्रभावित करने वाले रोजगार संबंधी निर्णयों को आधार बनाने के लिए किया जाता हो; या

■ उस आचरण या हावभाव या अनुरोध के प्रयोजन या प्रभाव से किसी व्यक्ति का कार्य प्रदर्शन बेवजह प्रभावित होता हो या उससे डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक कार्य वातावरण उत्पन्न होता हो।

प्रतिशोध की परिभाषा। प्रतिशोध का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल कृत्य इस कारण से करना क्योंकि उसने इस नीति के वास्तविक या कथित उल्लंघन की सूचना दी, इस नीति से प्रतिबंधित अभ्यासों का विरोध किया या नीचे बताई रिपोर्टिंग और छानबीन की प्रक्रिया में भाग लिया।

“प्रतिकूल कृत्य” में निम्नलिखित ऐसा कोई भी कृत्य (लेकिन यह सूची यहीं तक सीमित नहीं) शामिल है जो: 1) किसी कर्मचारी को संभावित भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता हो; 2) संभावित भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का तिरस्कार और त्याग करता हो; 3) संभावित भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध की रिपोर्ट करने से किसी व्यक्ति को रोकने की इच्छा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डराता-धमकाता हो; और 4) रोजगार लाभ या अवसरों से इनकार क्योंकि किसी आवेदक या कर्मचारी ने संभावित भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध की रिपोर्ट की या रिपोर्टिंग या छानबीन प्रक्रिया में भाग लिया।

RXO नीति किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोध पर प्रतिबंध लगाती है जो इस नीति के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करता हो, संरक्षित श्रेणी से संबंधित उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत दर्ज कराता हो या RXO या संघीय या राजकीय प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आयोजित किसी छानबीन, कार्रवाई या सुनवाई में किसी भी रूप में भाग लेता हो। किसी ज्ञात या संदिग्ध प्रतिशोध की रिपोर्ट HR या EthicsPoint www.RXO.ethicspoint.com को करने की ज़िम्मेदारी आप पर है। प्रतिशोध की रिपोर्ट करने पर तुरंत उसकी छानबीन की जाएगी और जहां तक संभव हो गोपनीयता कायम रखी जाएगी। प्रतिशोध साबित होने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी जिसके लिए रोजगार से बर्खास्त भी किया जा सकता है।

छानबीन प्रक्रिया

RXO में ऐसे किसी मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता जिसकी जानकारी उसे न दी जाती हो। कोई भी व्यक्ति जिसे पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों या फिर गैर-कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, आगंतुकों या मेहमानों सहित किसी के भी द्वारा कार्य पर उत्पीड़न की शिकायत हो या जिसने उत्पीड़न होते देखा हो, उस व्यक्ति पर तुरंत मामले की जानकारी हमें देने की ज़िम्मेदारी होती है।

भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध के मामलों की रिपोर्टिंग

यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नीति के उल्लंघन में कृत्य किया गया हो या उसने उल्लंघन होते देखा हो, उस व्यक्ति को तुरंत अपने पर्यवेक्षक या HR प्रतिनिधि को सूचना देनी चाहिए। यदि कर्मचारी इन व्यक्तियों को अपनी चिंता जताने में असहजता महसूस करते हों, तो कर्मचारी अपनी शिकायत दिन में 24 घंटे अनाम रूप से, Ethics Point के माध्यम (833) 254-2305 (यूएस) या (833) 254-2306 (कनाडा) या [RXO.ethicspoint.com](https://rxo.ethicspoint.com) पर कर सकते हैं। अनुवाद सेवाएँ उपलब्ध हैं। व्यक्ति से घटना या घटनाओं का विवरण, शामिल लोगों के नाम और किसी गवाह के नाम बताने को कहा जाएगा।

पर्यवेक्षकों को तुरंत उत्पीड़न या अन्य प्रतिबंधित आचरण संबंधी समस्त शिकायतें HR को भेजनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रोजगार से बर्खास्त भी किया जा सकता है। RXO का सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उत्पीड़न की किसी भी घटना या इस नीति द्वारा प्रतिबंधित अन्य निषिद्ध आचरणों की रिपोर्ट करें, जिससे शिकायतों का निपटारा तुरंत हो सके। पर्यवेक्षकों/प्रबंधकों को तब तक छानबीन शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक HR द्वारा ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती हो।

संस्करण	तिथि	विवरण
मूल नीति	02-11-2022	प्रारंभिक नीति प्रकाशन